भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2436

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

मिशन अमृत सरोवर के तहत जल निकायों के लिए निधि

2436. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना "मिशन अमृत सरोवर" के तहत गोवा में जलाशयों के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से की निधि स्वीकृत और वितरित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जलाशयवार ब्यौरा क्या है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान गोवा में कितनी निधि उपयोग की गई;

(ग) निधि के दुरुपयोग या अन्य प्रयोजन के लिए उनके स्थानान्तरण को रोकने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(घ) इस निधि के दुरुपयोग/अन्यत्र उपयोग के मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ) : अप्रैल 2022 में प्रत्येक जिले में मिशन अमृत सरोवर को 75 अमृत सरोवर (तालाब) निर्मित करने या पुनर्जीवित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, जिनकी संख्या देश भर में कुल 50,000 हैं। इस पहल ने जल संकट की गंभीर समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

दिनांक 07.03.2025 तक 68,000 से अधिक सरोवरों का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनमें से 159 अमृत सरोवर का कार्य गोवा राज्य में पूरा किया गया हैं।

मिशन अमृत सरोवर के लिए अलग से कोई वित्तीय आवंटन नहीं है। मिशन अमृत सरोवर मौजूदा विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), 15वां वित्त आयोग अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उप-योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी, राज्यों की अपनी योजना के अलावा विभिन्न चल रही योजनाओं के अभिसरण के साथ राज्यों और जिलों के माध्यम से कार्य करता है। इसके लिए क्राउड फंडिंग और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जैसे सार्वजनिक योगदान से प्राप्त होने वाली निधियों की भी अनुमति है।

*****